उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-13/2016/1323/41-15-95 सा0/15

लखनऊः दिनांक 03 फरवरी, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

भारत के संविधान में हुए 85वें संशोधन के आधार पर कार्मिक अनु-1 की अधिसूचना संख्या-13/2/91-टीसी-का-1-2007, दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली-2007 के नियम-8-क की व्यवस्थाओं के अधीन पदोन्नति पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को पारिणामिक ज्येष्ठता का हकदार होने के फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूचियों को संशोधित/परिवर्धित करने के आदेश निर्गत किये गये थे। तत्क्रम में शासनादेश सं0 1185 (2)/41-08-10 सा0/2008, दिनांक 22.05.2018 द्वारा सहायक पर्यटन निदेशक, तथा क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी तथा प्रचार अधिकारी संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी थी। उक्त ज्येष्ठता सूची में कुछ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने तथा कुछ नये अधिकारियों की पदोन्नति/नियुक्ति हो जाने के कारण पुनः ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने हेतु पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी संवर्ग में कार्यरत पदधारकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार कर महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 को पत्र संख्या-203 (2)/41-15-95 सा0/2015, दिनांक 03.03.2015 द्वारा इस आशय से सम्बन्धित अधिकारियों के मध्य परिचालित कराने हेतु प्रेषित की गयी थी कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध यदि किसी सम्बन्धित अधिकारी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो यह समझा जायेगा कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित किसी संबंधित अधिकारी को कोई आपत्ति नही है और तदनुसार अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन निदेशालय उ0प्र0 के पत्र संख्या-2285/2-8 (1)/का0/2015, दिनांक 31.03.2015 द्वारा शासन को सूचित किया गया कि निदेशालय के पत्र संख्या-11750/2-8(1)/रा0अधि0स्था0/का0/2014, दिनांक 04.03.2015 द्वारा क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के मध्य अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित कर निर्धारित अवधि में

आपत्तियां उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्धारित अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई हैः-

<u>आपत्ति सं0-1</u>

श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, उपनिदेशक पर्यटन के ई-मेल से प्रेषित दिनांक रहित पत्र द्वारा आपत्ति उठायी गयी है कि उनका नाम समूह-'ख' क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी की ज्येष्ठता में क्यों दर्शाया जा रहा है, जबकि वे उपनिदेशक पर्यटन समूह-क के पद पर चार वर्ष से कार्यरत हैं और उनकी प्रोन्नति श्री अविनाश चन्द्र मिश्र एवं सुश्री प्रीती श्रीवास्तव के साथ उपनिदेशक पर्यटन के पद पर हुई थी। ज्येष्ठता सूची में उक्त दोनों अधिकारियों का नाम सम्मिलित नहीं है, और उनका नाम ही क्यों रखा गया है।

<u>निराकरण</u>

श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (कार्यवाहक उपनिदेशक) की पदोन्नति चयन समिति द्वारा नियमित रूप से नही किया गया था बल्कि श्री आर0के0 यादव, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही के कारण लिफाफा बन्द होने के फलस्वरूप रिक्त पद को स्थगित रखते हुये कार्य की महत्ता व आवश्यकता की दृष्टि से श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव की प्रोन्नति शासन के कार्यालय आदेश सं0-3410/41-07-299/2009, दिनांक 21.10.2009 द्वारा कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानापन्न रूप से सहायक निदेशक पर्यटन के पद पर की गई थी जिससे इनका नाम क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित रखा गया है। श्री अविनाश चन्द्र मिश्र एवं सुश्री प्रीति श्रीवास्तव की प्रोन्नति चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक पर्यटन के पद पर कार्यालय आदेश सं0-1302/41-07-299/2005, दिनांक 03.10.2007 द्वारा की गई है तथा शासन द्वारा निर्गत सहायक निदेशक पर्यटन की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उक्त दोनो अधिकारियों का नाम भी सम्मिलित है। इसलिए उक्त दोनों अधिकारियों को क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सहायक निदेशक पर्यटन का पद वेतन समिति की संस्तुति के क्रम में शासनादेश सं0-2018/41-2011-251/05, दिनांक 22.12.11 द्वारा उपनिदेशक पर्यटन के पद में संविलीन कर दिया गया है। श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी का नाम ज्येष्ठता सूची में यथा स्थान रख दिया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>आपत्ति सं02</u>

श्री कल्याण सिंह, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 09.03.2015 द्वारा आपत्ति उठायी गयी है कि प्रसारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-08 पर अंकित श्री ब्रजपाल सिंह, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, पर्यटक अधिकारी के पद पर प्रसारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनसे कनिष्ठ है। इनकी प्रोन्नति उ0प्र0 सरकारी सेवा ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली के 2007 के तहत क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी पद पर हुई है, जिसको मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शासन द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवा ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2012 के तहत पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में उनका नाम अंकित किया जाय।

<u>निराकरण</u>

श्री कल्याण सिंह, पर्यटक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुए है और श्री ब्रजपाल सिंह, आरक्षण कोटे के तहत पर्यटक अधिकारी एव क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के पद पर प्रोन्नति हुए है, जो कल्याण सिंह, से कनिष्ठ है। श्री कल्याण सिंह, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्ति उचित है। अतः श्री कल्याण सिंह, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी का नाम सूची में श्री ब्रजपाल सिंह, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के ऊपर रखा गया है।

3. पर्यटन सेवा संवर्ग में मौलिक रूप से कार्यरत क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारियों की उ0प्र0 सरकारी सेवा ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2012 के निर्धारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार कर शासन के पत्र सं0 861/41-15-95 सा0/2015, दिनांक 14.05.2015 द्वारा महानिदेशक, पर्यटन को पुनः इस आशय से प्रेषित की गयी कि सम्बन्धित अधिकारियों के मध्य पुनः परिचालित कराते हुये अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्रस्तुत करें।

4. उक्त के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन निदेशालय उ0प्र0 के पत्र सं0 397/2-8 (1)/का0/2010, दिनांक 28.05.2015 द्वारा शासन को सूचित किया गया कि उक्त अनन्तिम ज्येठता सूची सम्बन्धित अधिकारियों के मध्य निदेशालय के पत्रांक 1760/2-8 (1) /रा0प0अधि0ज्ये0/2015, दिनांक 18.05.2015 द्वारा परिचालित कराते हुए दिनांक 25.05.2015 तक आपत्तियॉ मांगी गई थी, परन्तु उक्त तिथि तक किसी अधिकारी से कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः उपरोक्त के आलोक में उ0प्र0 सरकारी सेवा ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2012 के अनुसार क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी संवर्ग की प्रसारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप देते हुये संलग्नानुसार प्रख्यापित किया जाता है।

संलग्नक-यथोक्त।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव

संख्या-13/2016/1323 (1)/41-2015 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
2- कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 सचिवालय।
3- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव

(उक्त वरिष्ठता सूची विभागीय वेबसाइट www.uptourism.gov.in पर उपलब्ध है।)

http://shasanadesh.up.nic.in

मौलिक रूप से कार्यरत क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी संवर्ग के कार्मिकों की उ0प्र0 सरकारी सेवा ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2012 के अधीन निर्धारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	कोटि में नियुक्त की तिथि	कोटि में स्थायीकरण तिथि	नियुक्ति का माध्यम	श्रेणी
1	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	28.01.61	एम0ए0	22.09.94	23.09.96 (स्थायी)	प्रोन्नति	सामान्य
2	श्री अमित	15.11.65	एम0ए0	26.10.94	26.10.96 (स्थायी)	सीधी भर्ती	सामान्य
3	श्री विमलेश कुमार औदिच्य	01.01.64	एम0ए0	04.06.99	04.06.2001 (स्थायी)	प्रोन्नति	सामान्य
4	श्री वीरेश कुमार	01.12.66	एम0ए0	04.06.99	04.06.2001 (स्थायी)	प्रोन्नति	अनुसूचित जाति
5	श्री दिनेश कुमार	15.01.74	एम0ए0	28.12.02	अस्थायी	सीधी भर्ती	अन्य पिछडा वर्ग
6	श्री राजेन्द्र कुमार रावत	30.12.71	एम0ए0	28.12.02	अस्थायी	सीधी भर्ती	अनुसूचित जाति
7	श्री राजेन्द्र प्रसाद	01.04.67	एम0ए0	15.11.10	अस्थायी	प्रोन्नति	अन्य पिछडा वर्ग
8	श्री कल्याण सिंह	01.08.68	एम0ए0	10.10.12	अस्थायी	प्रोन्नति	अन्य पिछडा वर्ग
9	श्री ब्रजपाल सिंह	04.11.66	स्नातक	15.11.10	अस्थायी	प्रोन्नति	अनुसूचित जाति
10	श्री रवीन्द्र कुमार	10.08.66	एम0ए0	10.10.12	अस्थायी	प्रोन्नति	सामान्य
11	श्रीमती कीर्ति	04.09.88	स्नातक	29.05.13	अस्थायी	सीधी भर्ती	अन्य पिछडा वर्ग
12	श्रीमती अंजू चौधरी	03.06.83	एम0ए0	29.05.13	अस्थायी	सीधी भर्ती	सामान्य

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in